न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0, ग्वालियर

प्र0क0 दो / निगरानी / भिण्ड / भू–रा0 / ~~2017~~ /

हरीगिरि पुत्र श्री देवी गिरि आयु 45 वर्ष जाति गुंसाई, निवासी– ग्राम कंचनपुर, परगना गोहद, जिला भिण्ड, म0प्र0

––– आवेदक

विरूद्व

जितेन्द्र सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह आयु 35 वर्ष, जाति कौरव, निवासी – ग्राम कंचनपुर, परगना गोहद, जिला भिण्ड, म0प्र0

––– अनावेदक

<u>निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता,1959 विरूद्व आदेश दिनांक 23.02.2018 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, गोहद जिला भिण्ड के प्रकरण कमांक 0079 / अपील / 2017–18 से परिवेदित होकर प्रस्तुत है।</u>

माननीय महोदय,

<u>प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :–</u>

1– यह कि, प्रकरण का सारांश इस प्रकार है कि अनावेदक जीतेन्द्र सिंह द्वारा कलेक्टर महोदय भिण्ड के समक्ष एक शिकायती आवेदन पत्र प्रस्तुत किया ग्राम कंचनपुर में चबूतरा महादेवजी का स्थित है जिसके पूर्व पुजारी मृतक आवेदक

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक दो/निग0/भिण्ड/भू.रा/2018/1525

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05.03.18	आवेदक अभिभाषक श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित। उनके द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी गोहद जिला भिण्ड के प्रकरण कमांक 0079/अपील/2017–18 में पारित अंतिरिम आदेश दिनांक 23.2.18 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश इस प्रकार है कि ग्राम कंचन पुर तहसील गोहद जिला भिण्ड की आराजी कमांक 2186, रकवा 0.26 है0, 2188 रकवा 1.27 है0 2544 रकवा 0.04 है0 कुल किता 3 कुल रकवा 1.57 है0 भूमि पर पूर्व पुजारी की मृत्यु के बाद से मंदिर के पुजारी के पुत्र हरीगिरी गोस्वामी उपरोक्त भूमि पर फसल बोकर कब्जा किये हुये हैं। प्रकरण में तहसीलदार द्वारा नीलामी की कार्यवाही की गई जिससे व्यथित होकर अनुविभागीय अधिकारी गोहद के न्यायालय में धारा–52 का आवेदन प्रस्तुत किया गया। धारा–52 का आवेदन निरस्त होने के पश्चात यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि तहसीलदार द्वारा मात्र पटवारी प्रतिवेदन एवं शिकायती आवेदन पत्र के आधार पर	

उपरोक्त भूमि की फसल सुपुर्दगी पर दी जाकर नीलामी की कार्यवाही करने का आदेश दिनांक 13.2.18 को पारित किया जा चुका है। उनके द्वारा यह भी बताया गया है कि मौके पर आवेदक की खड़ी फसल तैयार है जिसे अगर नीलाम कर दी गई तो आवेदक को अपूर्तनीय क्षति होगी। अंत में अनुरोध किया गया है कि प्रकरण में स्थगन दिया जावे।

4– आवेदक अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि आवेदक की मौके पर पकी फसल खड़ी हुई है। आवेदक की पकी हुई फसल को दृष्टिगत रखते हुये नायब तहसीलदार वृत्त एण्डोरी के प्रकरण कमांक 2/बी–121/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 13.10.16 के आदेश को दो माह के लिये कियान्वयन स्थिगित करते हुये अनुविभागीय अधिकारी गोहद जिला भिण्ड को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण कमांक 0079/अपील/2017–18 का निराकरण दो माह में किया जावे।

सदस्य